रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032021-225593
CG-DL-E-02032021-225593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942
No. 103] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

सा.का.नि. 144(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) बशर्ते, इन नियमों में यथानिहित के अलावा, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में,

(क) नियम 126ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा,

"126घ. आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अठारह महीने तक नियम 126 में विनिर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियां समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-017-भाग 6: 2019 में निर्दिष्टानुसार, इसमें निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप निर्माता के संयंत्र (त्रों) या आयातक के परिसर (रों) से प्राप्त करने की तारीख पर या इसके पश्चात् निर्मित या आयात किए गए वाहनों की समरूपता के लिए कि क्या ये वाहन उन नियमों के अनुरूप हैं, जिसके टाइप के लिए उन्हें नियम 126 के तहत अनुमोदित किया गया है, के उत्पादन का संपूर्ण वाहन सुरक्षा समरूपता (डब्ल्यूवीएससीओपी) परीक्षण करेंगी।

बशर्ते कि नियम 126 या उत्पादन आवश्यकताओं की अनुरूपता के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा टाइप अनुमोदन की आवश्यकता से छूट प्राप्त वाहनों के लिए इस नियम में कुछ भी लागू नहीं होगा।"

(ख) नियम 126क में, अक्षर "परीक्षण भी करते हैं", के स्थान पर अक्षरों "टेलपाइप उत्सर्जन परीक्षण भी किए जाते" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11036/18/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......... (अ), दिनांकित........द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

G.S.R. 144(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement— (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (………….Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules),

a) After the rule 126C, the following rule shall be inserted,

"126D. Eighteen months from the date of publication of the notification in the official Gazette, the testing agencies referred to in Rule 126 shall conduct Whole Vehicle Safety Conformity of Production (WVSCoP) tests as specified in AIS-017-Part 6:2019, as amended from time to time, in accordance with the procedures laid down therein, on vehicles, manufactured or imported on and after this date drawn from the manufacturer's plant(s) or the importer's premise(s), to verify whether these vehicles conform to the rules to which they have been type approved under Rule 126.

Provided that nothing in this rule shall be applicable to vehicles exempted by the Central Government from Type Approval requirements as per Rule 126 or Conformity of Production requirements."

b) in rule 126A, the words "also conduct tests", shall be substituted by the words "also conduct tailpipe emission tests".

[F. No. RT-11036/18/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.02 22:27:57 +05'30'